संख्या-126/2022/1/213060/2022-71-3099/151/2020-03

प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
हृदय रोग संस्थान,
कानपुर।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊरू दिनांक 14 सितम्बर 2022

विषय- हृदय रोग संस्थान को आवंटित आईडीएच भवन, प्रॉगण एवं रिक्त भूमि का पूर्ण प्रशासनिक अधिकार/नियंत्रण निदेशक हृदय रोग संस्थान को दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-हरोस/2022-23/1968, दिनॉक 27.06.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से हृदय रोग संस्थान को आवंटित आईडीएच भवन, प्रॉगण एवं रिक्त भूमि का पूर्ण प्रशासनिक अधिकार/नियंत्रण निदेशक हृदय रोग संस्थान को दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-3540/71-1-2014-क-54/2014, दिनांक 28.01.2015 द्वारा जिलाधिकारी, कानपुर की आख्या/संस्तुति के दृष्टिगत हृदय रोग संस्थान, कानपुर की ओ0पी0डी0, डायग्नोस्टिक सेन्टर एवं विस्तार के लिए आई0डी0एच0 भवन प्रांगण एवं उससे संलग्न रिक्त भूमि (जो मेडिकल कालेज की पश्चिमी बाउण्ड्रीवॉल एवं पश्चिमी द्वार के माध्यम से अलग है) को हृदय रोग संस्थान को उपलब्ध कराये जाने/हस्तातंरित किये जाने के आदेश निर्गत किये गये। उक्त के अतिरिक्त सभी सम्बन्धित पक्षों के साथ सम्पन्न बैठक दिनांक 12.04.2016 के कार्यवृत्त के अनुसार चिकित्सा शिक्षा विभाग के शासनादेश दिनांक 28.01.2015 द्वारा आई0डी0एच0 भवन प्रांगण एवं उनसे संलग्न रिक्त, जो हृदय रोग संस्थान को उपलब्ध करायी गयी है एवं उसका कब्जा अब तक हृदय रोग संस्थान द्वारा नही लिया गया है, का कब्जा 02 माह में सम्बन्धित पक्षों से लेकर शासन को अवगत कराने के निर्देश दिये गये है।

3- यह भी उल्लेखनीय है कि मूलवाद पत्र 806/1986 में सिविल जज कानपुर नगर द्वारा पारित एक पक्षीय अन्तिम निर्णय दिनांक 02.02.1991 का प्रासंगिक अंश निम्नवत् है:-

'यह कि प्रतिवादी नं 01 ने इस भाग का आधा भाग 15 विस्वा 10 विस्वांसी मोहाल ब्रज मोहन सिंह एवार्ड संख्या 5, दिनांक 10.02.45 के द्वारा अर्जित कर लिया तथा शेष 15 विस्वा 10 स्वांसी मोहाल शिवराज सिंह अर्जित नहीं किया गया। जो भाग अर्जित किया गया था उसे श्रीमती पारवती देवी आई0डी0 हास्पीटल बना कर उसमें शामिल कर लिया गया।

4- निदेशक हृदय रोग संस्थान के पत्र दिनांक 27.08.2022 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार उक्त आदेश दिनांक 02.02.1991 के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद 02 सिविल मिस रिट याचिकाये- 8452/2016 एवं 8455/2016 योजित की गयी किन्तु न तो यह याचिकाये आई0डी0एच0 अस्पताल से सम्बन्धित है और न ही इन याचिकाओं में कोई स्थगन आदेश प्राप्त हुआ है। हृदय रोग संस्थान के नये बीजी + 3, मेडिकल ऑफिसर एवं नर्सिंग आवास हेतु 32 फैल्ट,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

इमरजेन्सी, होल्डिंग एरिया डे केयर वार्ड, आई0सी0यू0 का जीर्णोद्धार, सीनियर रेजीडेण्ट आवास हेतु बहुखण्डीय भवन आदि जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं का निर्माण आई0डी0एच0 भवन, प्रांगण एवं रिक्त भूमि पर संचालित है। अतः ऐसी स्थिति में आई0डी0एच0 परिसर का प्रशासनिक अधिकार हृदय रोग संस्थान को दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त वर्णित समस्त तथ्यों पर विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-3540/71-1-2014-क-54/2014, दिनांक 28.01.2015 द्वारा हृदय रोग संस्थान कानपुर को पूर्व में आवंटित आईडीएच भवन, प्राँगण एवं रिक्त भूमि, जो मेडिकल कालेज के पश्चिमी द्वार एवं पश्चिमी बाउन्ड्री वॉल के माध्यम से आईडीएच कैम्पस से अलग है, का पूर्ण प्रशासनिक अधिकार/नियंत्रण निदेशक, हृदय रोग संस्थान कानपुर को प्रदान किया जाता है।

कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ।

भवदीय

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपिर निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
2- प्रधानाचार्य, जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज कानपुर को इस आशय से प्रेषित कि शासनादेश दिनॉक 28.01.2015 द्वारा हृदय रोग संस्थान, कानपुर को पूर्व में आवंटित आईडीएच भवन, प्रॉगण एवं रिक्त भूमि, जो मेडिकल कालेज के पश्चिमी द्वार एवं पश्चिमी बाउन्ड्रीवॉल के माध्यम से आईडीएच कैम्पस से अलग है, का पूर्ण प्रशासनिक अधिकार/नियंत्रण निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर को हस्तगत कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(प्रेम शंकर तिवारी)
अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in